# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–60 / 2023**

जितेश चावला (कर्मचारी आई.डी.– आरजेएएल201902017997)

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 03.01.2023
**आदेश की दिनांक** : 09.01.2023

**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।
2. अपीलार्थी ने इस अपील में अपने स्थानांतरण आदेश दिनांक 17.12.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अलवर जिले में नवीन रूपांतरित / स्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार के पश्चात् कार्मिकों का चयन किया गया था। जिसके उपरांत अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश दिनांक 13.09.2022 के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कराणा में किया गया था। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 17.09.2022 को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कराणा में कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि कार्यग्रहण करने के पश्चात् अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानांतरण आक्षेपित

आदेश दिनांक 17.12.2022 के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कराणा में किया गया, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को चयनोपरांत उक्त महात्मा गांधी विद्यालय में पदस्थापित किया गया था। अल्प समय में ही अपीलार्थी को वहां से हटाया गया और अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापित किया गया है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि उन्होंने वर्तमान में अपने पूर्व के विद्यालय में वापस कार्यग्रहण कर लिया है। अधिकरण के मत में चूंकि अपीलार्थी ने आक्षेपित आदेश की पालना में अपने पूर्व विद्यालय में कार्यग्रहण कर लिया। अतः अब यह अपील निरर्थक हो चुकी है।

4. अतः अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**